

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 19/11/2009

संख्या-8/सू.अ.-15-02/2006क. 12522 / सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम 22, 2005) की धारा-27 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 में संशोधन के लिए निम्नांकित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

(1) यह नियमावली बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2009 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम-2 [यहाँ इसके बाद मुख्य नियमावली के रूप में संदर्भित] का संशोधन ।-

मुख्य नियमावली के नियम-2 में खण्ड-(घ) के बाद एक नया खण्ड-(छ) जोड़ा जाएगा :-

खण्ड-(छ) जानकारी कॉल सेन्टर से अभिप्रेत है राज्य सरकार का एक पहल, जिसके माध्यम से दूरभाष/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना माँगी जा सकती है ।

3. मुख्य नियमावली के नियम-3 का संशोधन :-

(1) मुख्य नियमावली के नियम-3 के उप नियम-(2) के खंड(ii) के परन्तुक के पहले निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा:-

(ii) उक्त शुल्क जमा करते समय आवेदक स्व पता लिखित एवं डाक टिकट (सामान्य डाक, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट) सटा हुआ लिफाफा भी लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित करेगा। यदि किसी आवेदक ने स्व पता लिखित एवं डाक टिकट सटा हुआ लिफाफा नहीं संलग्न किया है तो इस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकृत नहीं होगा ।

(2) मुख्य नियमावली के नियम-3 के उप नियम-2 के खण्ड-(ii) के परन्तुक के बाद निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक जोड़ा जाएगा :-

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के ऐसे व्यक्तियों को मात्र 10 (दस) पृष्ठों तक की सूचना निःशुल्क दी जा सकेगी और 10 पृष्ठों से ज्यादा होने पर नियमानुसार शुल्क प्रभारित की जायेगी ।

4. नया नियम-3-क का जोड़ा जाना :-



पदाधिकारी से संबंधित होता है, तो प्राप्तकर्ता लोक सूचना पदाधिकारी उस आवेदन को सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत जैसा आवश्यक हो, निष्पादन हेतु स्थानांतरित कर देगा। ऐसे मामलों में प्रथम बार आवेदन प्राप्त करने वाला लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने हेतु उस आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी नहीं समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सरयुग प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-8/सू.अ.-15-02/2006का.....12522...../पटना-15, दिनांक 19.11.2009

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना बिहार को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी मुद्रित 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को सुलभ कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-8/सू.अ.-15-02/2006का.....12522...../पटना-15, दिनांक 19.11.2009

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री, बिहार, पटना के सचिव/उप मुख्य मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव, मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/सचिव, बिहार सूचना आयोग तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-8/सू.अ.-15-02/2006का.....12522...../पटना-15, दिनांक 19.11.2009

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार विधान सभा, पटना तथा सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना को एक सी0डी0 तथा दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-8/सू.अ.-15-02/2006का.....12522...../पटना-15, दिनांक 2009

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की दिनांक 17.11.09 की मद संख्या-18 द्वारा स्वीकृति के अनुपालन में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।